



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-381/2022

दिनांक- 15-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- गम्भीरपुर

किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 23.01.2022 वादी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि मेरी नाबालिक लड़की को अभियुक्त श्याम सुन्दर पुत्र राजेश निवासी उबारपुर थाना गम्भीरपुर द्वारा बहला फूसलाकर भगा ले लगा जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 20/22 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत हुआ था, बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी की विवरण – घटना के बाद से ही अभियुक्त फरार चल रहा था जिसके क्रम में अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी व पीड़िता की बरामदगी हेतु उ.नि. उमाकान्त शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त श्याम सुन्दर पुत्र राजेश निवासी उबारपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को मई खरगपुर मोड़ के पास समय करीब 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.स. 20/22 धारा 363/366 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सों एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1-श्याम सुन्दर पुत्र राजेश निवासी उबारपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ.नि. उमाकान्त शुक्ला का0 सुशील चौधरी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना- निजामाबाद

अपहरण के अभियोग में वांछित सहअभियुक्ता गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण—मुकदमा वादिनी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ की पुत्री को विपक्षी केश पुत्र डैभा ग्राम दौलतपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फूसलाकर भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर पर मु0अ0सं0 252/22 धारा 366/504/506 भादवि दिनांक 22.06.22 को पंजीकृत कराया गया था। साक्ष्य संकलन से उपरोक्त अभियोग में धारा 368,376 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्ता रुबीना पत्नी लल्ला निवासीनी बराई थाना जलालपुर जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया।

2. गिरफ्तारी का विवरण—प्राप्त सूचना के अनुसार उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमराही कर्मचारीगण के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता रुबीना पत्नी लल्ला निवासीनी बराई थाना जलालपुर जनपद जौनपुर को उसके पिता के घर ग्राम दौलतपुर से समय करीब 11.40 बजे महिला आरक्षी संध्या सिंह के द्वारा हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 252/22 धारा 366/504/506/368/376 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास – उपरोक्त अभियोग

गिरफ्तार अभियुक्ता- 1.रुबीना पत्नी लल्ला निवासीनी बराई थाना जलालपुर जनपद जौनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम- 1. उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला हमराहीयान थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना- जहानागंज
वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 10.05.22 को वादी मुकदमा महफूज अहमद पुत्र स्व0 मन्सूर अहमद ग्रा0 सुम्भी थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर दिये कि अभियुक्तगण द्वारा कुटरचित तथ्य गोपनीय तरीके से फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र अपनी पत्नी मंजू देवी के नाम बनवाकर तथा अपना पता अन्य जगह दर्शाता हुए अनुसूचित जाति के सदस्यो से बैनामा करा लेने के सम्बन्ध मे प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय में मुकदमा अपराध संख्या 178/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि बनाम 1. कमला देवी पत्नी स्व0 सदरी लाल ग्राम धरवारा थाना जहानागंज आजमगढ़ 2. मनोज चौरसिया पुत्र शंकर चौरसिया 3. मंजू चौरसिया पत्नी मनोज चौरसिया निवसीगण ग्राम सुम्भी थाना जहानागंज आजमगढ़ 4. मोती पुत्र कन्ता ग्राम निजमुद्दीनपुर (खल्लोपुर) थाना सिधारी आजमगढ़ 5. श्यामा चौहान पुत्र झिनखुन चौहान ग्राम परमेश्वरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री संतोष कुमार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक 15.11.22 को उ0नि0 सन्तोष कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोती पुत्र कन्ता निवासी निजामुद्दीनपुर थाना सिधारी आजमगढ़ व श्यामा चौहान पुत्र झिनखुन चौहान निवासी परमेश्वरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ को शुम्भी बाजार से समय करीब 09.20 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 178/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मोती पुत्र कन्ता निवासी निजामुद्दीनपुर थाना सिधारी आजमगढ़
2. श्यामा चौहान पुत्र झिनखुन चौहान निवासी परमेश्वरपुर थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1- उप निरीक्षक सन्तोष कुमार मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर
24 घण्टे के अन्दर गुमशुदा बरामद

पूर्व की घटना-

दिनांक 13.11.2022 को रात्रि 23.59 बजे प्रार्थना पत्र बाबत आवेदक फैयाज अहमद वार्डेन टीचर पुत्र स्व0 निसार अहमद सा0 अलजमिया तुल अशर्फिया युनिवर्सिटी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा इस आशय से प्रार्थना पत्र दिया गया कि अलजमिया तुल अशर्फिया युनिवर्सिटी में पढ़ने वाला मुहम्मद फरिद जाहिद पुत्र जाहिद अबरार उम्रि 13 वर्ष बिना किसी को बताये कही चला गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 355/22 धारा- 363 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है जिसके क्रम में -

बरामदगी का विवरण- दिनांक- 14.11.2022 को उ0नि0 दशाराज सिंह मय हमराह पुलिस बल के प्राप्त सूचना के आधार पर अभियोग उपरोक्त में गुमशुदा मुहम्मद फरिद जाहिद पुत्र जाहिद अबरार उम्रि 13 वर्ष सठियांव से बरामद कर उसके परिजन को सुपुर्द किया गया। अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

बरामदगी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 दशाराज सिंह, का0 मुकेश चौधरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़